कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या : 3183 / 1जी-FP/UK/ROAD/10393/2015 देहरादूनः दिनांकः ७७ मई, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग निर्माण प्रथम भाग हेतु – 2.705 है0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10393/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/10393/2015 तद्दिनांकित

#### प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- 2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- 3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- 4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
- 5. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा
- 6. अधिशासी अभियंता, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

#### भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

स्थानः देहरादून

जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानढ़ोक मोटर मार्ग निर्माण प्रथम भाग 2.705 है0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10393/2015)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में पूर्वी पन्आनौला कक्ष सं० 54 में 1. 35 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 1.355 है0 सिविल वन भूमि कुल 2.705 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में वृक्षे आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित व सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। प्रस्ताव में प्रति है0 50 वृक्ष से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनजर, जनहित में, उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेत् भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तृति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः

तिथि : 7 /05/2015

कारायम् प्रमाप्त स्त्रिम् स्रितिकार्यः स्ट्रिप्त स्त्रिप्त स्त्रिप्त स्ट्रिप्त स्त्रिप्त स्त्र स्त्रिप्त स्त्रिप्त स्त्रिप्त स्त्र स्त्रिप्त स्त्र स्ति स्त्र स्त्र स्त्र स्ति स्त्र स्त्र स्ति स्त्र स्ति देहरादून

#### भाग-111

### बरतोल-बानढोक मोटर मार्ग निर्माण - 05 00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 10393 / 2015)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है

क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया

है? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और

किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न

करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी

सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सहमत

है।

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे

सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक:- 25.04.2015

स्थान:- अल्मोडा।

जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

जायेगी।

प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के

सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय

से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेत्

नही।

हाँ। सहमत

आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की

(संतोष विंजय शर्मा) वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्तं, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

### (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा) 16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र 20221300 (ii) जिला (iii) जिला वन प्रभाग (Hyn an (iv) पूर्वेक्षण के लिए उँध्वयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र स्थापन 17. पूर्वेक्षण के लिए पहुँचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः 311.07. 1.350 18. अपवर्जन के लिए प्रेंस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः (ii) वनस्पति का औसत् पूर्ण धनत्व (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना किए) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा 19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 1.4 / .... 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :भूरेत्व के (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण ज़ैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए): मा) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन् की दीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जतु के अलग या खतुर में अलग किस्म के खतरे की प्रजातिया हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे की 22. क्यों क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थेल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो जपाबद्ध किए। जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ जसका ब्योरा दें) प्रोक्षित में अपने के बाद का के किया किया है।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के A Maidin on Market and Shaper and A लिए अति न्यूनतम है। व निर्मा

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिकमण के ब्योरे

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ तृही)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विकृद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हां/नहीं)
- 25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन ज़ैसे व्योरे दें।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में नाल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नूही)।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : कि निर्माण स्कीम के लिए कुल वित्तीय : कि निर्माण स्वीम स्वी
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हैं / नहीं)।
- 26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ प्रहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणी के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों देवा कार्र

ं मि व्याप्तिक व्याप्त कर्णा वर्षात्र कर हीने की विधिक्र वाल्यात्।

स्थान - कार्याहर

तारीव- 8-4-2015

श्वभागीय मनाधिकारी विश्विकार्य्यं सोयम वन प्रधान

# SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from The Silve Town (av)
FCA-1980) of That of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use
construction of x. and for non-forestry purpose. The project envisages the use been done by me on dated.
530 - 10 - 21) 2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -

- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF forests measuring...ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoided minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so th NO.
- i.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any nonument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if
  - The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 19 has been started without proper sanction.
  - It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 198 details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Cor 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(गाट- प्रभागाय वनाधिकारी नाज जन्म न		4				
(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ व की जाय)	DIDAK X	क सम्बन्ध में	अग्रनी संस्त्रनि	1 Dunis		
का जाय।	1	1 2 2	NATI BERIO	राटमाना आवर	यक रूप र	ने आकित
FOI OF IN COUNTY	1	100 - 11			/ / /	. 4114-61
	N a	11 10110	-	^	/	
		1 Ollb			./	

(Signature

Designation Office Sented H श्रनमोडा.

Β, State the purpose for which the forest land is proposed to be 'erted.

> xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the is not applicable.

per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, G ia for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from Do for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the c

### (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा) 16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र 20221300 (ii) जिला (iii) जिला वन प्रभाग (Hyn an (iv) पूर्वेक्षण के लिए उँध्वयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र स्थापन 17. पूर्वेक्षण के लिए पहुँचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः 311.07. 1.350 18. अपवर्जन के लिए प्रेंस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः (ii) वनस्पति का औसत् पूर्ण धनत्व (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना किए) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा 19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 1.4 / .... 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :भूरेत्व के (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण ज़ैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए): मा) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन् की दीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जतु के अलग या खतुर में अलग किस्म के खतरे की प्रजातिया हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे की 22. क्यों क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थेल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो जपाबद्ध किए। जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ जसका ब्योरा दें) प्रोक्षित में अपने बार की है जो आहें अब आहे हैं है है है है है है

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के A Maidin on Market and Shaper and A लिए अति न्यूनतम है। व निर्मा

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

## कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , **☎** (05962) 231099 Fax : 230397 पत्रांक — 2475 / 12—1 अल्मोड़ा, दिनांक, 01.05.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून।

विषय:— बरतोली — बानठोक मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या—10393/2015)।

संदर्भ :- आपकी ऑन-लाइन आपित दिनांक 28.04.2015 ।

महोदय,

विषयगत मार्ग से सम्बन्ध में आप द्वारा सूचित बिन्दुओं पर प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा की आख्या पत्रांक 3262 / 12—1 दिनांक 01.05.2015 संलग्न है।

संलग्नक- 2

बरिष्ठ प्रशासनिक आधकारी उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, सत्तराखण्ड, जलमोड़ा,

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, युत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

### कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229 पत्रांक **४**२.62 //2 / दिनांक, अल्मोड़ा, ०। ० ७ 2015



सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

खोला मोटर मार्ग से बर्तोली वानठौक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव सं0 10393/2015। विषय :-

आपका पत्रांक 2470 / 12-1 दिनांक 01.05.2015 । सन्दर्भ-:

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में चाही गयी सूचना संलग्न कर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

अतः सूचनार्थ महोदय जी की सेवा में प्रेषित।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय

सिविल एवं सोयम वन प्रभार ब्रह्मोडा 263601

प्रभागीय वनाधिकारी सिविल अपूर्व सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत खोला मो0मार्ग से बर्तोली बानठोक मो0मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण) (लम्बाई 5.00 किमी0)

## लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
					# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a a
अल्मोड़ा	सिविल सोयम, वन प्रभाग अल्मोड़ा	जागेश्वर रेन्ज	धौलादेवी पूर्वी पर्वानीला कः नः - 54	1500	9	1.350

बियणीसी अभियन्ता, विर्माण खण्ड, लो जिन्सी अस्ति। प्रयोक्ता। पुजेन्सी सहायक आभयन्ता विर्माण खण्ड, लो जि जि जि

शितहस्ताखरित प्रभाग य वनाधिकारी, सिविज अब सामग्री प्रभागीय वनाधिकारी

क वार्र वह इसाव, बन्दोर

#### **PART-II**

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0307/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Almora

(iii) Forest Division: Civil Soyam, Almora

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 2.705

(v) Category: Road

#### 2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Civil Soyam,Almora	1.35	Reserved Forest
2	Civil Soyam,Almora	1.355	Civil Soyam land

#### Division 1.: Civil Soyam, Almora

#### 3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)
1	Almora	2.705

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion:

#### (ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.705	0.4	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir	130	198	150	46	4

- $5. \ \ \mbox{Working plan prescription for the forest land proposed for diversion:} \ \mbox{No Data}$
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: 2.705 ha. forest area erosion for publice use
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): 1.00
- $\delta.\;$  Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
  - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: there is no wildlife present in the forest land
  - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No
  - Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
  - Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion: No

(V). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area: No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion:
  - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed:
  - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme:
- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 764800
- (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: Annexure regarding suitability of land
- (v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.: Annexure CA scheme including species to be planted

Additional information Details:

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

#### 14. District Profile:

S.ı	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)
1	Almora	3689.30	1309.43	135.448	39	203.48996	08/04/2015	0	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Civil Soyam,Almora	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	08/04/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

#### (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason:

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Civil	North	DFO	Recommended	there are 02	Recommendation	

Soyam,Almora	Kumaun			villages and 110 families of 617 peoples are getting this facilities	<u>letter</u>	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal 110 families of 2 villages will be benefited, hence recommended.	Recommendation letter	Yes

Print page

### FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

### PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details				
A- 1. Project Details				
(i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/10393/2015				
(ii). Name of Project for which Forest Land is required: Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)				
(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: Construction of Bartoli-Banthok Motor Road from Khola Motor Road of length 5.00 km length(I part)				
(iv). State: Uttarakhand				
(v). Category of the Project: Road				
(vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear				
(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 29.25				
(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.705				
(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 1.795				
(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL				
A- Details of User Agency 2.				
(i). Name: CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA				
(ii). Address1 : Construction Division PWD Almora				
(iii). Address2: NIL				

(iv). State: Uttarakhand

```
(v). District: Almora
 (vi). Pin: 263601
 (vii). Landmark: NIL
 (viii). Email address: eecdalmorapwd@rediffmail.com
 (ix). Landline Telephone No.: 230091
 (x). Fax No.: 5962
 (xi). Mobile No.: 9759892120
 (xii). Website (if any): NIL
 (xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under
 the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past:
 (xiv). Legal status of User Agency: State Government
A-
Details of Person Making Application
 (i). First Name: Suresh
 (ii). Middle Name: Chandra
 (iii). Last Name: Arya
 (iv). Gender: Male
 (v). Designation: Executive Engineer
 (vi). Address 1: Construction Division PWD Almora
 (vii). Address 2: NIL
 (viii). State: Uttarakhand
 (ix). District: Almora
 (x). Tehsil: Almora
```

(xi). Pin: 263601

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eecdalmorapwd@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 230091

(xv). Fax No.: 05962230091

(xvi). Mobile No.: 9759892120

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

Annexure U.A Document

#### B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in

1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

#### B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Civil Soyam,Almora	2.705	1.795

#### B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	2.705	1.795

#### B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Panuanaula	1.35	0
2	Bartoli	1.355	0.72
3	Chalethi	0	1.072

#### B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Panuanaula	1.35	0
2	Bartoli	1.355	0.72
3	Chalethi	0	1.071999

#### C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Civil Soyam, Almora

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 2.705

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	2.705	Annexure Segment1

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: <u>Annexure Survey of India</u> Toposheet

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

## <u>D.</u> <u>Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: Annexure Justification
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined:  $\underline{\text{Annexure}}$  alternative examined

#### E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment ?: No
- F. Displacement of People due to the Project, if any
  - (i). Whether Project involves displacement?: No

#### G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

- (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No
- H. Status of Environmental Clearance
  - (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No
- I. Status of Wildelife Clearance
  - (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No
- J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas
  - (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No
- K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted
  - (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes
    - (a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: Annexure Documentry Evidence
- L. Details of land identified for Compensatory Afforestation
  - (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes
  - (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No
  - (iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
  - (iv). No. of patches: One

District 1. : Almora
(a). Village: Kalnu
(b). Area(in ha.): 5.41
(c). Copy of KML file of the patch: <u>Annexure Patch</u>

(d). Khasra details: 19/226

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: Annexure Copy of Ownership proof

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: <u>Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued</u>

(h). Copy of non encumberence certificate for the forest land: Annexure non encumberence certificate

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station: Annexure GPS or Total Station

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: <u>Annexure Survey of India Toposheet</u>

#### Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	Additional Info.	2.9
2	Additional Info.	2.10
3	Additional Info.	2.12
4	Additional Info.	2.1
5	Additional Info.	2.2
6	Additional Info.	2.3
7	Additional Info.	2.4
8	Additional Info.	2.5
9	Additional Info.	2.7
10	Additional Info.	2.8
11	Additional Info.	2.11
12	Additional Info.	2.13
13	Additional Info.	2.15
14	Additional Info.	2.16
15	Additional Info.	2.17
16	Additional Info.	2.18
17	Additional Info.	2.19
18	Additional Info.	2.20
19	Additional Info.	2.23
20	Additional Info.	2.24
21	Additional Info.	2.25

22	Additional Info.	2.26
23	Additional Info.	2.27
24	Additional Info.	2.28
25	Additional Info.	2.29
26	Additional Info.	2.30
27	Additional Info.	2.31
28	Additional Info.	2.32
29	Additional Info.	2.33
30	Additional Info.	2.34
31	Additional Info.	2.35
32	Additional Info.	2.36
33	Additional Info.	2.37
34	Additional Info.	2.38
35	Additional Info.	2.39
36	Additional Info.	2.41
37	Additional Info.	2.40
38	Additional Info.	2.41
39	Additional Info.	2.6
40	Additional Info.	2.43

Print page